न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत अलोद

प्रकरण संख्याः–132/दावा/2020

1. शिवलाल आयु 65 वर्ष आ0 श्री सुवालाल जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया पोस्ट चेता तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

वादी

बनाम

1. लाडबाई आयु बालिग बेवा भंवरलाल मेघवाल जाति बलाई निवासी ढगारिया।
2. दुर्गी बाई आयु बालिग बेवा गोपाललाल मेघवाल जाति बलाई निवासी ढगारिया, तहसील हिण्डोली
3. भोलाशंकर आयु बालिग आ0 श्री गोपाललाल मेघवाल जाति बलाई निवासी ढगारिया, तहसील हिण्डोली
4. कमलेश बाई आयु बालिग पुत्री गोपाललाल मेघवाल पत्नी महावीर जाति बलाई निवासी ढगारिया हाल अकलोर तहसील हिण्डोली।
5. बिमला बाई आयु बालिग पुत्री गोपाललाल मेघवाल पत्नी प्रकाश जाति बलाई निवासी ढगारिया, हाल निवासी बरवास, तहसील हिण्डोली।
6. राजेश आयु बालिग आ0 गोपाललाल मेघवाल जाति बलाई निवासी ढगारिया।
7. माया बाई आयु बालिग पुत्री गोपाललाल मेघवाल पत्नी सीताराम जाति बलाई निवासी ढगारिया हाल निवासी फालेण्डा, तहसील हिण्डोली।
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री रामेश्वर प्रसाद

प्रतिवादी –

निर्णय दिनांक :– 06/10/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि भूमि खतोनी संख्या नई 143 पुरानी 133 की भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 3912/23 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल अलोद भू–अभिलेख निरीक्षक अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, उक्त कृषि भूमि अभी इस समय राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पति भंवरलाल व प्रतिवादी संख्या 2 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता गोपाललाल के नाम गैर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

खातेदारी में अंकित है। वादी ने उक्त भूमि आज से करीब 50 वर्षो पूर्व नोतेड से फाडतोडकर काफी रकम खर्च कर काबिज काश्त बनाई थी तभी से निर्बाध निरन्तर रूप से प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए इस भूमि पर से प्रतिवादीगण के तमाम हक, हकुक एवं अधिकार समाप्त हो गये है। वादी उक्त कृषि भूमि पर वादी का अधिक समय से प्रतिवादीगण की जानकारी में बिना रोक टोक के काबिज काश्त है इस कारण वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी को उक्त कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करवाकर वादी का नाम उक्त कृषि भूमि को खाते पर अंकित करवाये एवं इसी आशय की घोषणा न्यायालय श्रीमान से करावें। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के पूर्वजों द्वारा उक्त कृषि भूमि गैर कानूनी रूप से अपने नाम आंवटन करवाई गई जबकि उक्त कृषि भूमि वादी के नाम आंवटन की जानी चाहिये थे इस कारण उक्त आवंटन गेर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कृषि भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है जो प्रतिवादीगण के पिता व पति भंवरलाल, गोपाल के नाम राजस्व रिकोर्ड में गैर खातेदारी में अंकित है उसका नाजायज रूप से फायदा उठाकर गैर खातेदारी से प्रतिवादीगण खातेदारी में इन्द्राज करवाना चाहते है, जबकि उक्त आवंटन व खातेदारी अधिकारी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही होने के कारण नही किया जा सकता है एवं इसके लिये दिनांक 08.05.2018 को राजस्व न्यायालय केम्प अलोद में आवेदन पेश किया एवं उसके बाद भी कई बार आवेदन कर खातेदारी अधिकार मांगे तथा दिनांक 17.06.2020 को पटवारी साहब नकल निकलवाने पर जानकारी प्राप्त हुई है यही वादोत्पति का कारण है जो लगातार हो रहा है। इसलिये उक्त वाद अन्दर अवधि न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। वादपत्र निश्चित कोर्ट फीस व तलबाने पर प्रस्तुत है। कृषि भूमि ग्राम बालापुरा तहसील हिण्डोली में स्थित होने से उक्त वाद के श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वाद अधिकार घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व निरस्त करने आंवटन का होने से राजस्थान राज्य भूमिधारी को आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या 8 बनाया गया है। यदि राजस्थान राज्य को धारा 80 जा0फो0 के तहत 2 माह का नोटिस देकर इन्तजार करके दावा पेश किया गया तो वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही रहता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उक्त भूमि को गैर कानूनी रूप से गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित करवा लेगे एवं भूमि को खुर्द बुर्द कर देगे तथा अपने नाजायज उदेश्य से सफल हो जायेगे ऐसी स्थिति में वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उक्त वाद नोटिस के अभाव में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी अनुमति हेतु अलग से धारा 80(2) जा0दी0 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की स्थायी निषेधाज्ञा एंव अधिकार घोषणा की डिक्री वमय खर्चा सादिर फरमाई जावें। उक्त कृषि भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है, को वादी के नाम राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी में दर्ज करने हेतु खातेदारी अधिकार की घोषणा की जावे एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की फरमाई जाकर वादी के नाम खाते में अंकित करने आदेश प्रदान करें। प्रतिवादीगण 1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

लगायत 7 के पिता व पति का नाम राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी में से विलोपित किया जाकर तथ्यों को छुपाकर बदनियति पूर्वक करवाये गये आंवटन को निरस्त किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को दिलवाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित आये व स्वयं के शपथ पत्र मय आधार कार्ड की छायाप्रति के पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि जो कि वर्तमान में मेरे पति/हमारे पिता के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर शुरू से ही हमारा कोई कब्जा काश्त नही रहा है ओर ना ही वर्तमान में है। उक्त भूमि पर वादी शिवलाल का ही कब्जा काश्त है। विवादित भूमि के राजस्व रेकार्ड में से मेरे पति/हमारे पिता का नाम विलोपित करने में हमे कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त विवादित भूमि बाबत नायब तहसीलदार दबलाना से रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा अपने पत्र कमांक :– भू0अ0/2021/606 दिनांक 07.07.2021 से अवगत कराया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 22, 3912/23 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल अलोद वर्तमान में गोपाल पुत्र गोबरया व भंवरलाल पुत्र गोबरया कोम बलाई के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है, जिसके जमाबंदी व राजस्व नक्शे के रकबे में भिन्नता है जो कि सेन्टलमेन्ट के दौरान से ही नक्शे लटठे में चली आ रही है, जिसकी तरमीम आनुपातिक रूप से की गई है। मौके पर खसरा नम्बर 22 व 3912/23 राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान में शिवलाल पिता सुवालाल लोधा द्वारा काश्त की जा रही है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने भी उक्त भूमि पर शिवलाल का काश्त होना बताया है, जो कि चेता निवासी है। दौराने केम्प पटवारी हल्का चेता से गैर खातेदार के वारिसान की जानकारी ली गई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपने पत्र कमांक :– राजस्व/2021/18 दिनांक 06.10.2021 से वारिसान रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की। वादी द्वारा अपने वाद में बनाये गये प्रतिवादी 1 लगायत 7 ही गैर खातेदार भंवरलाल व गोपाल के वारिसान है, जिनका जवाब पत्रावली में पूर्व में ही पेश किया हुआ है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत अलोद में पेश हुई। वादी उपस्थित है। वादी ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 द्वारा इकबालिया जवाब देना बताते हुये भूमि पर उनका कब्जा काश्त नही होना कथन किया व भूमि को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का निवेदन करते हुये प्रकरण का निर्णय करने की प्रार्थना की है व आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया व जवाब प्रतिवादी 1 लगायत 7 का अध्ययन किया। पत्रावली में नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट अनुसार विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के पति/पिता भंवरलाल, गोपाल पि0 गोबरया कोम बलाई सा0 अलोद के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है, जिस पर वादी शिवलाल पि0 सुवा लोधा काबिज काश्त है साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त ना होकर वादी का कब्जा काश्त होना बताया जाकर भूमि वादी के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

प्रकरण में बाद मनन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा जिस भूमि पर खातेदारी अधिकार के घोषणा चाही गई है वह भूमि उसकी गैर खातेदारी में दर्ज न होकर अन्य व्यक्तियों की गैर खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा अपने कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी दिये जाने हेतु विधि में कोई प्रावधान नही है साथ ही प्रकरण के अवलोकन से जाहिर आया है कि वर्तमान में दर्ज गैर खातेदार का भी भूमि पर कब्जा काश्त नही है जिससे उनके द्वारा आंवटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित है। वादी अपने वाद को सिद्व करने में असफल रहा है।

अतः वाद वादी पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य नही होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के पति/पिता गोपाल, भंवरलाल पुत्र गोबरया कोम बलाई सा0 अलोद के नाम दर्ज विवादित भूमि खसरा संख्या 22 व खसरा संख्या 3912/23 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल अलोद के नाम दर्ज गैर खातेदारी भूमि का आंवटन निरस्त किया जाता है। भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज की जाकर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत अलोद में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी),

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)